संख्या-06/2023/001-48/2302720/2023-12-5099/62/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि विभाग **लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/श०एवं वा०/पं०दी०उ०कि०स०यो०-कार्य०यो०/509/2021-22, दिनांक 13.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 11450.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू. 4517.50 लाख (रूपये पैतालीस करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। एतद्वारा कार्ययोजना की धनराशि रू.9035.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू. 4517.50 लाख (रूपये पैतालीस करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतने ही कार्यों का चयन किया जायेगा, जिनकी शतप्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जा सके तथा चयनित कार्यों के सापेक्ष पृथक से शासकीय देयता सृजित न हो।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी।
6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आपका होगा।
7. धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
9. आपके द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
10. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
11. स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2402001030900 (पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	08 कार्यालय व्यय	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
3	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
4	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण	17,50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		किसान समृद्धि योजना	और पेट्रोल आदि की खरीद	(रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
5	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	42 अन्य व्यय	44,50,00,000 (रुपये चवालीस करोड़ पचास लाख मात्र)
6	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8,50,000 (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**45,17,50,000** **(रुपये पैंतालीस करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	45,17,50,000 (रुपये पैंतालीस करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-06/2023/001-48-2302720/2023-12-5099/62/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों को योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग हेतु। द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
8. विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य एवं वानिकी), कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव,

http://shasanadr

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।